राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार 2018 के अन्तर्गत रखी गई विभिन्न प्रकरणों की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, नोहर एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष की गई। प्रकरणों के निस्तारण के लिए पक्षकारों को बुलाया गया है। प्रकरणों के पक्षकारों को सुनकर उनके बयान दर्ज किये गये हैं। प्रकरणों में पूर्ण रूप से तथ्य विचार कर निर्णय किया गया है। प्रकरणों में पक्षकारों को आपस में समझाइश करके उनके बयान दर्ज किये गये हैं।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
नोहरार (भादरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

11/5/18 को वादिका मय है तथा प्रकरण
दस्तावेज प्रकाश में आया कि वादिनी के प्रकरण
के पक्ष में अन्तरिम आदेश पारित
करने हेतु प्रार्थना की गयी है प्रकरण
की गम्भीरता एवं प्रकृति को देखते हुए
उपचारों के लिए प्रकरण के
पक्ष में अन्तरिम आदेश भी प्रकरण के
पक्ष में बनता है। पक्षकार अपने अपने
भुगतान का निर्णय इस कारण से होगा।
किन्तु उपरोक्त तीनों निर्णय के लिए
प्रकरण के पक्ष में होने से प्रकरण एक्सपार्टे
निर्णय योग्य किया जाता है।

आदेश

प्रकरण का अपरिवर्तनीय प्रकृति अर्थात
धारा 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट
निर्णय पश्चात पक्षकार रहे पक्ष रहे
वादिनी धारा 4 के पक्ष में 0.88 है, 1558 वर्गमीटर
0.95 है छूट दिया 2
खसरा 1.83 है कार्यवाही हस्तान्तरण नहीं
करे न करने पर पक्षकार के
ले प्रतिबद्ध रहे